न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2023 (अपील)

GCMS No : 2023/46

अनवान

1. श्री काला पिता फागणा गमेती, निवासी हसरेटा, तहसील कोटडा जिला उदयपुर।
2. श्री हगरू पिता पुंजा, गमेती निवासी हसरेटा, तहसील कोटडा जिला उदयपुर।
3. श्री मीरखां पिता पुंजा गमेती निवासी हसरेटा, तहसील कोटडा जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री फागणा पिता हाजा गमेती निवासी मेडी तहसील कोटडा जिला उदयपुर।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब कोटड़ा, तहसील—कोटड़ा, जिला—उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री रामशाकद्विपीय, अधिवक्ता रेस्पो. स. 1।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 96 तहसीलदार कोटड़ा आदेश दिनांक 27.07.2023

* निर्णय *

दिनांक— 30-04-2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हसरेटा, पटवार हल्का मेडी, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र महाडी तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर के राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संख्या 36 मे अंकित आराजी संख्या 252/3 रकबा 1.5120 है. व 3/2 रकबा 0.8640 है. कुल किता 2 रकबा 2.3760 है. स्थित होकर वर्तमान समय में अपीलाण्ट्स के आधिपत्य में है। सजरा खानदान के माफिक अपीलाण्ट्स के मूल पुरूष रूपा जी थे उनके दो पुत्र क्रमशः पुंजा (फोत) व काला (अपीलाण्ट संख्या 1) हैं तथा मृतक गेना के पत्नी नाजू (फोत) हो गयी व उसके एकमात्र पुत्री होनकी भी लाऔलाद फौत हो गई तथा [illegible] के [illegible] क्रमशः हगरू अपीलाण्ट संख्या 2 व मीरखां अपीलाण्ट सख्ंया 3 व चुना लाऔलाद फौत है इस प्रकार अपीलाण्ट का उपरोक्त वर्णित सजरा खानदान है। अपीलाण्ट का अपने दादाओं के वक्त से संयुक्त खानदान होकर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। मृतक गेना के कोई पुत्र संतान नहीं थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:38 IST
Reason: SelfAttested

उसके केवल मात्र एक पुत्री होनकी थी जिसकी शादी देवा पिता हांजा डाबी, निवासी दन्तराल (गुजरात) वाले के साथ करवाई तथा होनकी के पति देवा को मृतक गेना ने घर जमाई रख लिया क्योंकि गेना के पुत्र सन्तान नहीं थी तथा सेवा सुश्रुषा करने वाला कोई नहीं होने की वजह से घर जमाई रखा गया तथा होनकी का पति देवा अपने पिता का गांव दन्तराल छोडकर अपने ससुराल गांव हंसरेटा में आकर बस गया तथा अपीलाण्ट के साथ मिलकर संयुक्त रूप से काश्त करने लग गया तथा देवा की व होनकी की मृत्यु भी गांव हसरेटा में ही हुई है। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व होनकी के पति देवा की मृत्यु हो गई, जिस वजह से होनकी अपीलाण्ट के परिवार के साथ ही रहने लग गई तथा वादग्रस्त आराजीयात भी अपीलाण्ट्स ही काश्त करने लग गये और आज से लगभग 20–22 वर्ष पूर्व होनकी की भी मृत्यु हो गई सो होनकी के हिस्से वाली भूमि को भी अपीलाण्ट्स उनके जीवित काल से काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलाण्ट का पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है। श्रीमती होनकी अपीलाण्ट संख्या 1 की बहन है व अपीलाण्ट सख्ंया 2 व 3 की बुआ है, तथा उसके लाऔलाद फोत हो जाने से तथा वादग्रस्त आराजीयात पर लम्बे समय से आधिपत्य होने से व होनकी के लाऔलाद फोत होने से व कोई वारिस नहीं होने से वादग्रस्त आराजीयात आपीलाण्ट के आधिपत्य में है और अपीलाण्ट कस्टमरी लॉ के माफिक खातेदार हो चुके है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि खाते करवाने हेतु दिनांक 15.07.2023 को खाते की नकल निकलवायी तो इसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को होने पर फर्जी कागजात तैयार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को मुगालते में रखकर व मिलकर दिनांक 27.07.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया जो कि विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार की कोई हित निहित नहीं है तथा न ही मृतका श्रीमती होनकी से कोई पारिवारिक रिश्ता है, न ही अपीलाण्ट के परिवार से पारिवारिक रिश्ता है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्जी कागजात तैयार कर अपने को मृतका श्रीमती होनकी को अपनी काकी होना बताकर फर्जी तौर तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया है कि इस वजह से उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण को खारिज फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा अपीलाण्ट्स अपने पिता की पैतृक भूमि से वंचित रह जावेंगे, इसलिये नामान्तरकरण को खारिज फरमाया जाना न्याय संगत होगा। नामान्तरकरण संख्या 96 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमान तहसीलदार सा. कोटडा द्वारा स्वीकृत करने से इन्हे पक्षकार बनाया गया है। अपीलाण्ट ने इमेल से दिनांक 13.09.23 को जमाबन्दी नकल निकलवाने पर जानकारी में आया इससे पूर्व नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाने का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए ज्ञान होते ही अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय आपमें यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है वैसे विधि विरूद्ध स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण की अपील करने की राजस्व नियमों के माफिक कोई मियाद की शर्त नहीं है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 96 स्वीकृत दिनांक 27.07.2023 उको खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि मूल पुरूष रूपा के वारिस गेना की पत्नी नाजू की भी मृत्यु हो गई गेना के जीवनकाल में होनकी के पति को घरजमाई रखा। देवर ने जमीन अपने नाम पर करा ली। मृत्यु प्रमाण पत्र में दिनांक गलत अंकन की है। होनकी का पति उससे पहले मरा है। 2052 की पासबुक में बेवा के रूप में दर्ज है। 1997 का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जबकि मृत्यु उससे पहले हुई है। तहसीलदार द्वारा त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण खोला जाने से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण को पारित करने में क्या भूल की यह नहीं बताया है। बंटवाडा को स्वीकार कर रहे है। कलम संख्या 7 में प्रतिकुल कब्जा बता रहे हैं। नामांतरकरण किस कारण गलत हुआ यह नहीं बताया है। इस न्यायालय से कोई दाद नहीं प्राप्त कर सकते है इसके लिए घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय में जाना होगा। अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

हमने अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से तहसीलदार कोटडा द्वारा विरासत का ना.स. 96 दिनांक 24.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। मूल पुरूष रूपा के फौत होने पर उसके दो वारिस फगणा एवं गेना हुए गेना के कोई पुत्र संतान नहीं होकर केवल पत्नी नाजू एवं पुत्री होनकी हुई। अपीलाण्ट के कथनानुसार होनकी के पति को घरजमाई रखा। होनकी का पति होनकी से पहले मर चुका है। रेस्पो. संख्या 1 फागणा का होनकी से कोई खुन का रिश्ता नहीं होकर फागणा होनकी का देवर होना बताया जिसने विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करा लिया। जबकि अपीलाण्ट अपने आपको होनकी के निकटतम वारिसान होना बता रहे है। रेस्पाडेन्ट संख्य 1 द्वारा भी अपने आपको होनकी का निकटत खुन का क्या रिश्ता है यह भी साबित नहीं करा पाये। उक्त विवेचन से पृथम दृष्टया यह साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण को पारित करते वक्त होनकी के विधिक वारिसान की जांच कर सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण पारित नहीं किया है जिससे पृथम दृष्टया उक्त नामान्तरकरण त्रृटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:38 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर मौजा हसरेटा, पटवार हल्का मेडी तहसील

कोटड़ा का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 27.07.2023 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार कोटड़ा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक होनकी पत्नी देवा गमेती(भील) के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण संबन्धित विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:38 IST
Reason: SelfAttested